भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 818

गुरुवार, 28 अप्रैल, 2016/ 08 वैशाख, 1938 (शक)

निधियों की कमी के कारण निजी कंपनियों द्वारा पीछे हटना

818. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:
कुंवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सड़क परियोजनाओं की अनेक निजी कंपनियां परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इक्विटी अथवा निधियों और ऋण की कमी की अनुपलब्धता के कारण पीछे हट गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों द्वारा पीछे हटने से रुकी पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पर्याप्त निधि आबंटन अथवा बैंकों से राजसहायता प्राप्त वित्त से रुकी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए थे/उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से रुकी/लंबित पड़ी परियोजनाओं और नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उक्त बैंकों से राजसहायता प्राप्त वित्त देने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (घ): कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, इक्विटी/ऋण/निधियों की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारकों के कारण अवरूद्ध हैं । सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. भावी नकदी प्रवाह का प्रतिभूतिकरण,
ii. दबावग्रस्त राजमार्ग परियोजनाओं में प्रीमियम का आस्थगन,
iii. वित्तीय रूप से दबावग्रस्त राजमार्ग परियोजनाओं में सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन,
iv. पिछड़ रही बीओटी परियोजनाओं के पुनरूद्धार और वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए एक बारगी निधि उपलब्ध कराना,
v. ऐसी पिछड़ रही राजमार्ग परियोजना जिसमें विलंब के लिए रियायतग्राही आरोपित नहीं होता है, हेतु रियायतग्राही को तर्कसंगत मुआवजा और
vi. पीपीपी विधि के अंतर्गत सभी राजमार्ग परियोजनाओंके निर्माण के 2 वर्ष पश्चात् 100% इक्विटी डाइवेस्टमेंट ।

(ङ.) जी नहीं ।

*****